

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/809- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शों में दर्शाए गए गांव सैरावान, तहसील और जिला गुडगांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव सैरावान, तहसील और जिला गुडगांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द-गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 424/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् ड्राईंग पर दर्शाए गए अनुसार गांव कासन की आयत संख्या 146 का उत्तर-पश्चिमी कोना, उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 146 की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 7 तथा 8 की उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ-2 इसके बाद गांव सैरावान की आयत संख्या 8,9,10 की उत्तरी सीमा के साथ-2 उसके बाद गांव मानेसर की आयत संख्या 85 की उत्तरी सीमा के साथ-2 बिन्दु "ख" तक जहां यह 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0-91/750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय मानेसर के इर्द-गिर्द पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है।

पूर्वी: उसके बाद ऊपर विनिर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय मानेसर के इर्द-गिर्द पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दु "ग" तक जहां यह गांव मानेसर की आयत संख्या 120 की पूर्वी सीमा से मिलती है, उसके बाद गांव मानेसर की आयत संख्या 120 और 144 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर उसके बाद आयत संख्या 144 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद आयत संख्या 151 और 170 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दु "घ" तक अर्थात् गांव मानेसर की आयत संख्या 170 के दक्षिण-पूर्वी कोने तक।

दक्षिण: उसके बाद आयत संख्या 170, 171 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद गांव मानेसर की आयत संख्या 174 और गांव ग्वालियर की आयत संख्या 6 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद गांव ग्वालियर की आयत संख्या 6,7,8 की दक्षिण सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर और उसके आगे गांव कुकरौला की आयत संख्या 19 की दक्षिणी सीमा के साथ उसके बाद आयत संख्या 19 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 13 और 12 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद आयत संख्या 12 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव कुकरौला की आयत संख्या 6 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर बिन्दु "ड." तक अर्थात् उक्त गांव की आयत संख्या 6 का दक्षिण-पश्चिमी कोना।

पश्चिम: उसके बाद, गांव ककरौला की आयत संख्या 6 और 3 और गांव कासन की आयत संख्या 188 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 188 और गांव सैरावान की आयत संख्या 28 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर उसके बाद गांव सैरावान की आयत संख्या 26 और गांव कासन की आयत संख्या 187 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 187 और गांव सैरावान की आयत संख्या 26 और 25 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर, उसके बाद गांव सैरावान की आयत संख्या 18 और 14 तथा गांव कासन की आयत संख्या 169 तथा 146 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर बिन्दु "क" तक, जो कि आरम्भ का बिन्दु है।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKAA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/809- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Sairawan tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Sairawan, tehsil and district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G) 424/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of Rect. No. 146 of village Kasan as shown on the drawing, thence towards east along the north-eastern boundary of Rect. No. 146 of village Kasan thence along north-western boundary of Rect.No. 7 and 8, thence along northern boundary of Rect. No. 8,9 and 10 of village Sairawan, further along northern boundary of Rect. No. 85 of village Manesar upto point 'B' where it meets with the boundary of controlled area already declared around Government High School Manesar, -vide Haryana Government Gazette Notification No. JD-91/750, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991.

East: Thence towards south along the boundary of controlled area already declared around Government High School Manesar, -vide above referred Notification upto point 'C' where it meets with the eastern boundary of Rect. No. 120 of village Manesar, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 120 and 144 of village Manesar, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 144, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 151 and 170 upto point 'D' i.e. the south-east corner of Rect. No. 170 of village Manesar.

South: Thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 170, 171, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 174 of village Manesar and Rect. No. 6 of village Gwalior thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 6,7 and 8 of village Gwalior and further along southern boundary of Rect. No. 19 of village Kukraula, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 19, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 13 and 12, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 12, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 6 of village Kukraula upto point 'E' i.e. the south-west corner of Rect. No. 6 of the said village.

West: Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 6 and 3 of village Kukraula and Rect. No. 188 of village kasan, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 188 of village Kasan and Rect. No. 28 of village Sairawan, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 26 of village Sairawan and Rect. No. 187 of village Kasan and Rect. No. 26 and 25 of village Sairawan, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 18 and 14 of village Sairawan and Rect. No. 169 and 146 of village Kasan upto the point 'A' which is the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.